न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/02/2020 वाद — दायर दिनांक 13.02.2020

उनवान

1. चन्द्रप्रकाश पिता रतनलाल सिरोया जाति जैन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।

1. भुरी बाई पिता छोगालाल पत्नी छोगा लाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी जाशमा तहसील भोपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
2. अभिनव दुग्गड़ पिता मदन लाल दुग्गड जाति जैन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
3. राज विजयवर्गीय पिता स्व. परशराम जाति महाजन आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
4. ललित कुमार पिता देवी लाल जाति टांक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)।
5. उपपंजीयक एवं भूमिधारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा —वादी
एकतरफा —प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 16.01.2025

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत् 2074—77 के खाता संख्या 2008 के आराजी संख्या 5770 रकबा 1.85 हैक्ट0, आराजी संख्या 5772 रकबा 2.10 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 3.95 हैक्ट0 स्थित है जिसमें वादी का 1/12 हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 2/3 हक हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का प्रत्येक का वादी के समान 1/12, 1/12 हक हिस्सा निहित हो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

यह कि ग्राम कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत् 2074—77 के खाता संख्या 1974 के आराजी नम्बर 5773 रकबा 0.38 हैक्ट0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.38 हैक्ट0 स्थित है जिसमें वादी का 1/6 हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हक हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 व प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 प्रतिवादी संख्या 4 का 1/12 हक हिस्सा निहित हो राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है।

यह कि कॉलम संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात दिनांक 21.05.2019 को वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने पारस देवी पत्नी पुखराज जाट से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की उस समय उक्त आराजीयात के पूर्व दिशा में पावर हाउस व कॉलेज रोड के समान्तर पारस देवी का कब्जा था जो वादी सहित प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को सिपूर्द किया तथा पश्चिम दिशा में माता जी के मन्दिर के पास से रण्डियारडी की तरफ जो रास्ता जाता है के समानान्तर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है उक्त कब्जा अनुसार वादी व प्रतिवादी आज भी मौके पर काबिज है।

यह कि राजस्व रेकार्ड मे बटवाडा अंकित नहीं होने से वादी को अपने हक हिस्से में बाड (तारबन्दी करने से) प्रतिवादी संख्या 1 विधि विरूद्ध रूप से रोक कर अवरोधित कर रही है व लडाई झगडा करने पर उतारू है जिससे उक्त आराजीयात का कब्जे को ध्यान में रखते हुए बटवाडा किया जाकर वादी के हक हिस्से का अलग नम्बर कायम कर विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के कब्जे सुदा भुभाग को बटवाडा नही होने का लाभ उठा कर दिगर व्यक्तियों को विक्रय कर कब्जा करवा वादी को बेदखल करने की मंशा रखती है जबकि वादी ने उक्त वाद वर्णित आराजीयात को क्रय करने उपरान्त आराजीयात से जाडीया, विषेले पौधे विलायती बबुल हटवाये भूमि का जेसीसी से काफी लागत लगा समतली करण कराया है व कृषि योग्य बनाया है इसी वजह से प्रतिवादी संख्या 1 के मन में बदयान्ति उत्पन्न हो गई है व प्रतिवादी संख्या 1 येन केन प्रकरण सुधार कि हुई भुमि को हथियाना चाहती है जिसका उसको कोई अधिकार नहीं है इसी गरज से दिनांक 30.01.2020 को भूमाफियाओं को लेकर उक्त भूमि पर आयी जिससे वादी व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है कि बिना वैध विभाजन के वादी को उसके कब्जे सुदा हक हिस्से से बेदखल नही करे अन्य व्यक्ति को किसी भी रीति से खुर्द बुर्द कर अन्तरित नही करे व अनावश्यक विवाद पैदा नही करे व वादी के उपभोग व उपयोग में दखलन्दाजी नही करे।

यह कि वादी ने उक्त आराजीयात का विभाजन कराने व वादी के कब्जेसुदा आराजीयात से बेदखल नही करने हेतु दिनांक 30.01.2020 को कहा तो प्रतिवादी तैयार नही हुए जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि–
यह कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावे कि जैरबहस वादपत्र की कॉलम संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात का विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से व कब्जे की आराजी नम्बर तन्हा वादी के नाम पर खातेदारी हक से अंकित की जावे। यह कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावे कि वादी को उसके हिस्से व कब्जे की आराजीयात से बेदखल नहीं करे व उपयोग–उपभोग में बाधा नही डाले। न ही अन्य दिगर व्यक्ति को अन्तरित करे। यह कि हर्जा खर्चा आदि वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से आज दिनांक 27.06.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। उक्त वाद पत्र में दिनांक 27.06.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 15.01.2025 से प्रस्तुत की गई। जो दिनांक 16.01.2025 से शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 16.01.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन पटवार हल्का कपासन ए तहसील कपासन के जमाबन्दी संवंत् 2074–77 के खाता संख्या 2008 के आराजी संख्या 5770 रकबा 1.85 हैक्ट0, आराजी संख्या 5772 रकबा 2.10 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 3.95 हैक्ट0 तथा खाता संख्या 1974 के आराजी नम्बर 5773 रकबा 0.38 हैक्ट0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.38 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 15.01.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. अभिनव दुगड पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/6 जाति दुगड सा0 देह खातेदार, चन्द्रप्रकाश पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/3 जाति सिरोया सा0 देह खातेदार, राजविजयवर्गीय पुत्र परसराम हिस्सा 1/3 जाति विजयवर्गीय सा0 देह खातेदार, ललित कुमार पुत्र देवीलाल हिस्सा 1/6 जाति टांक सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	5773/1	0.19	पडत–1
योग	कुल किता–01	0.19	

2. अभिनव दुगड पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/4 जाति दुगड सा0 देह खातेदार, चन्द्रप्रकाश पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/4 जाति सिरोया सा0 देह खातेदार, राजविजयवर्गीय पुत्र परसराम हिस्सा 1/4 जाति विजयवर्गीय सा0 देह खातेदार, ललित कुमार पुत्र देवीलाल हिस्सा 1/4 जाति टांक सा0 देह खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	5770/1	0.6167	पडत–1
2	5772/1	0.7000	पडत–1
योग	कुल किता–02	1.3167	

3. भूरीबाई पुत्री छोगालाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 देह खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	5773/2	0.1900	पडत–1
2	5770/2	1.2333	पडत–1
3	5772/2	1.4000	पडत–1
योग	कुल किता–03	2.8233	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 16.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन